समझौता ज्ञापन

(Memorandum of Understanding)

राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES
BIKANER
पशुधन नित्यं सर्वलोकोपकारकम्

एवं

शरह नत्थानियान गोचर भूमि संरक्षण एवं विकास समिति, बीकानेर

जय धरती माँ
जय गौ माता
रजिस्ट्रेषन नं. 316/B/2010–11
शरह नत्थानियान् गोचर भूमि संरक्षण एवं विकास समिति

के मध्य प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं प्रसार हेतु

समझौता ज्ञापन

(Memorandum of Understanding)

राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर एवं शरह नत्थानियान गोचर भूमि संरक्षण एवं विकास समिति, बीकानेर के मध्य प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं प्रसार हेतु

प्रस्तावना

राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर (इसके बाद इसे **राजूवास** कहा गया है जिस अभिव्यक्ति में इसकी वर्तमान एवं भविष्य की सभी इकाइयां शामिल होंगी) की स्थापना अधिनियम, 2010 (2010 की अधिनियम संख्या–13) द्वारा पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञानों एवं उसके सहबद्ध विज्ञानों की आधुनिक पद्धतियों को समुचित और व्यवस्थित शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विस्तार सुनिश्चित करके राजस्थान राज्य में पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञानों के विकास के प्रयोजनों के लिये और उससे संसक्त और अनुषंगिक विषयों के लिये की गई है। यह विश्वविद्यालय अपने प्रकार का राज्य में एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसमें उपर्युक्त प्रयोजनों हेतु सक्षम कार्मिक एवं सुविधाऐं विभिन्न इकाइयों में विद्यमान हैं।

शरह नत्थानियान गोचर भूमि संरक्षण एवं विकास समिति (पंजीयन क्रमांक 316/B 2010-11), बीकानेर (इसके बाद इसे **समिति** कहा गया है जिस अभिव्यक्ति में इसकी वर्तमान एवं भविष्य की सभी इकाइयां शामिल होंगी) का पंजीकृत कार्यालय साले की होली, बीकानेर में है तथा कार्यक्षेत्र बीकानेर है, निम्न उद्धेश्यों की पूर्ति में सलंग्न है जिनमें कोई लाभ निहित नहीं है :

1. बीकानेर शहर के पश्चिम दिशा में स्थित शरह नत्थानियान गोचर भूमि का विकास एवं सहयोग
2. उक्त गोचर भूमि में वृक्षारोपण द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा
3. संपूर्ण गोचर भूमि क्षेत्र में वनौषधियों एवं जड़ी बूंटियों का संवर्द्धन
4. देशी गौवंश के संवर्द्धन एवं संरक्षण के कार्य
5. सेवण, धामण, एवं भूरट के संवर्द्धन का कार्य
6. अकाल, दुर्भिक्ष आदि के समय गौवंश संरक्षण हेतु विशेष प्रयास
7. आमजन को गौ सेवा से जोड़ने के लिये प्रयास एवं प्रचार
8. संपूर्ण गोचर क्षेत्र में जल संरक्षण हेतु व्यवस्था करवाना
9. गौवंश हेतु पेयजल व्यवस्था करना
10. गौवंश/गोचर भूमि हेतु दानदाताओं अथवा आमजन में दान देने की प्रवृति का निर्माण करना
11. गौपालकों को जैविक खाद एवं पंचगव्य उत्पादों के निर्माण के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

समिति के अनुसार यह लगभग 27205 बीघा 18 बिस्वा गोचर भूमि पर कार्य कर रही है, जिसमें सेवण घास चारागाह विकसित किया गया है तथा लगभग 500 बछड़े पाले जा रहे है तथा दिन प्रतिदिन 4 से 5 हजार और वर्षाकाल में 40 से 50 हजार

गायें चरने आती हैं। समिति द्वारा वृक्षारोपण, संगोष्ठि आयोजन, सेवण घास विकास इत्यादि कार्य किये जा रहे हैं।

राजूवास एवं समिति ने दीर्घावधि रचनात्मक साझेदारी में रूचि जाहिर की है। यह समझौता ज्ञापन केवल साझेदारी की संरचना को दर्शाता है, जबकि भविष्य में परस्पर सहयोग से किये जाने वाले कार्य उनसे संबंधित निबंधन एवं शर्तों, जो कि पारस्परिक रूप से सहमत हो, के आधार पर किये जाएंगे। विश्वविद्यालय की ओर से कुलपति या उनके द्वारा नामित कोई अधिकारी तथा समिति की ओर से श्री अमित कुमार, सचिव समन्वयक का कार्य करेंगे।

अनुच्छेद–1

उपरोक्त प्रस्तावना की व्यापकता को प्रभावित किये बिना राजुवास एवं समिति निम्न क्षेत्रों में सहयोग के प्रयास करेंगेः

1. गोचर भूमि का विकास
2. वृक्षारोपण द्वारा पर्यावरण की संरक्षण
3. वनौषधियों एवं जड़ी बूंटियों का संवर्द्धन
4. देशी गौवंश के संवर्द्धन एवं संरक्षण के कार्य
5. सेवण, धामण, भूरट एवं संवर्द्धन का कार्य
6. वर्षा जल संरक्षण
7. गौपालकों के लिये प्रशिक्षण आदि।
8. जैव विविधता संरक्षण
9. वन्य जीव सम्बन्धित अध्ययन।

अनुच्छेद–2

राजूवास एवं समिति किसी भी सहयोग के क्षेत्र पर कार्य योजना बनाने हेतु अपनी ओर से व्यक्ति नामित कर सकेगें।

अनुच्छेद–3

इस समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत सम्पादित कार्य से उत्पन्न बौद्धिक सम्पदा, शोध प्रकाशन एवं तकनीकों के व्यवसायीकरण से उत्पन्न लाभों को राजूवास एवं समिति द्वारा सयुंक्त रूप से साझा किया जायेगा।

अनुच्छेद–4

दोनों संस्थाओं द्वारा एक संयुक्त फोलोअप कमेटी का गठन किया जायेगा जो कि समय समय पर बैठक आयोजित कर इस समझौता ज्ञापन की प्रगति का आकलन करेगी तथा इसे और आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सुझाव भी दे सकेगी।

अनुच्छेद–5

दोनों संस्थाएं समझौता ज्ञापन में परस्पर सहमति से कोई शब्द, मुहावरा, वाक्य और अनुच्छेद को जोड़, बदल या हटा सकेगी।

अनुच्छेद–6

दोनों संस्थाएं उक्त उद्धेश्यों की प्राप्ति हेतु अपने अपने स्तर से वित्तिय संसाधन जुटाने का प्रयास करेंगी।

अनुच्छेद–7

यह समझौता ज्ञापन शुरू में 5 वर्ष के लिए मान्य होगा, जो अवधि इसके हस्ताक्षरित करने की दिनांक से लागू होगी, और पारस्परिक सहमति से बढ़ाई भी जा सकेगी। यदि कोई साझेदार इस समझौता ज्ञापन को निरस्त करना चाहे तो यह समझौता ज्ञापन निरस्त करने की सूचना के तीन माह पश्चात निरस्त समझा जावेगा।

अनुच्छेद–8

इस समझौता ज्ञापन के क्रियान्वयन में आने वाली किसी कठिनाई या दुविधा का निस्तारण दोनों संस्थाओं द्वारा गठित एक सयुंक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

जिसको साक्षी मानकर दोनों संस्थाएं इस समझौता ज्ञापन के नीचे उल्लेखित दिनांक को हस्ताक्षरित करते है:

16/4/2015

(प्रो.ए.के.गहलोत)
कुलपति
राजूवास

(बृजनारायण किराड़ू)
अध्यक्ष
समिति

दिनांकः– 16 अप्रेल, 2015
स्थानः– बीकानेर

1. **(प्रो. त्रिभुवन शर्मा)**
निदेशक,प्रसार शिक्षा,एवं
निदेशक (पी.एम.ई)राजूवास,

(अमित कुमार)
सचिव
समिति

2. **(प्रो. राकेश राव)**
कुलसचिव, राजूवास

(संग्रामसिंह राठौड़)
कोषाध्यक्ष
समिति